व किसी सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर आराजी राजस्व रिकॉर्ड मे वादीगण के नाम से मुताबिक बंटवारानूसार दर्ज कागजात करवा देवे तो पहले तो प्रतिवादीगण आज कल आज कल करते रहे परन्तु कुछ दिन टाल मटोल करने के उपरान्त दिनांक 12.10.2020 को वादीगण की बात मानने से ईन्कार हो गये बस यही बिनाये दावा है। वगैरा–वगैरा।

लिहाजा वाद वादीगण मय शपथ पत्र दो प्रतियो मे पेश कर निवेदन है कि :– (क) यह कि चक 5 के आर डब्लयू जमाबदी सम्वत 2074–2077 खाता संख्या 53/49 प.न. 95/117 मु.न. 4 कि.न 2 ता 9, 12 ता 19, 22/1 ता 25/2 में 4.834 है. नहरी, 0.226 है. गै.मु. रासता, प.न. 96/117 मु.न. 5 कि.न. 1 ता 15/2, 18 ता 23 मे 5.238 है. नहरी, 0.075 है. गै.मु. रासता, प.न. 96/118 मु.न. 10 कि.न 1में 0.253 है.नहरी, प.न. 97/117 मु.न. 6 कि.न. 1 मे 0.253 है.नहरी कुल खाता 10.879 है.नहरी मय गै.मु. रास्ता आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 10/43 हिस्सा यानि 2.530 है. आराजी में वादीगण संख्या 1 ता 4 को ब. हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खाता से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे।(ख) यह कि चक 7 एल एल डब्ल्यू जमाबदी सम्वत 2073–2076 खाता संख्या 63/59 प.न. 134/213 मु.न. 9 कि.न 18 ता 19/2, 22 ता 24 में 1.138 है. नहरी, प.न. 134/214 मु.न. 13 कि.न. 1 ता 4 में 1.012 है. नहरी मय गै.मु. खाला, कुल खाता 2.150 है. नहरी मय खाला आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1.897 है. आराजी मे वादीगण संख्या 1 ता 4 को ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खाता से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने जरिये वकील उपस्थित होकर इकबाल दावा पेश कर वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। जवाब स्टेट पेश हुआ राज्यहित को ध्यान मे रखते हुये वाद वादीगण मे उचित आदेश फरमाये जाने की इस्तदुआ की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी, दौराने बहस वकील वादीगण ने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये वाद वादीस्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादीगण ने वादीगण के कथनों में अपनी सहमति प्रकट की , पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण एव प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है एव वादाधीन आराजी संयुक्त परिवार की सम्पति है जो कि वादीगण एव प्रतिवादीगण पारिवारिक बंटवारानूसार खातेदारी घोषणा का अनूतोष चाह रहे है एव वादाधीन आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है, प्रतिवादीगण ने वादीगण के कथनों को जरिये इकबाल कथन स्वीकार किया है एव वाद पत्र के समर्थन में अपनी सहमति प्रदान की है। वादीगण एव प्रतिवादीगण पारिवारिक बंटवारानूसार वादाधीन आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है एव वादीगण की कब्जा काश्त के सम्बध में कोई विरोध नही है, एव उभयपक्षकारान ने पारिवारिक बंटवारानूसार वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इस प्रकार वादीगण ने अपने दावा को दस्तावेजी साक्ष्यों इकबाल कथनों, बहस एव अभिकथनों से बखूबी साबित किया है। वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर एव तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि :– (क) चक 5 के आर डब्लयू जमाबदी सम्वत 2074–2077 खाता संख्या

अधिकारी (राजस्व)

53/49 प.न. 95/117 मु.न. 4 कि.न 2 ता 9, 12 ता 19, 22/1 ता 25/2 में 4.834 हे. नहरी, 0.226 हे. गै.मु. रासता, प.न. 96/117 मु.न. 5 कि.न. 1 ता 15/2, 18 ता 23 में 5.238 है. नहरी, 0.075 हे. गै.मु. रासता, प.न. 96/118 मु.न. 10 कि.न 1में 0.253 है.नहरी, प.न. 97/117 मु.न. 6 कि.न. 1 मे 0.253 है.नहरी कुल खाता 10.879 है.नहरी मय गै.मु. रास्ता आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 10/43 हिस्सा यानि 2.530 है. आराजी में वादीगण संख्या 1 ता 4 को ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्त खाता से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है।(ख) चक 7 एल एल डब्ल्यू जमाबदी सम्वत 2073–2076 खाता संख्या 63/59 प.न. 134/213 मु.न. 9 कि.न 18 ता 19/2, 22 ता 24 में 1.138 है. नहरी, प.न. 134/214 मु.न. 13 कि.न. 1 ता 4 में 1.012 है. नहरी मय गै.मु. खाला, कुल खाता 2.150 है. नहरी मय खाला आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1.897 है. आराजी मे वादीगण संख्या 1 ता 4 को ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्त खाता से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तानूसार ही वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। उक्तानुसार ही पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19.1.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19.1.2021

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर
जिला श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with CamScanner